न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरमा राम, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 842 / 2024

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 उम्मेदसिंह 2. जयसिंह 3. जालमसिंह 4. तिलोक सिंह पिसरान सवाईसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर।		1 अमित पुत्र भवानी शंकर 2. अर्जन 3. किशोर पिसरान मोबताराम 4. दुर्गादेवी पत्नी मोबताराम 5. नयना पत्नी भवानी शंकर 6. प्रेमचन्द पुत्र मेवाराम 7. भुवनेश पुत्र रमेश कुमार 8. यशोवर्धन पुत्र भवानी शंकर 9. रमेश 10. राजेश 11. विजय पिसरान मोबताराम जातियान सेवक निवासी बाड़मेर गादान तहसील व जिला बाड़मेर 12. तहसीलदार बाड़मेर, जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण श्री उम्मेदसिंह वगैराह
2. अप्रार्थीगण श्री किशोर कुमार वगैराह

आदेश

दिनांक 03/01/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा बाडमेर गादान, पटवार क्षेत्र बाडमेर आगोर तहसील व जिला बाडमेर में खसरा नम्बर 2849 / 2216 रकबा 14.0992 हेक्टयर की आई हुई है जो भूमि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि है, जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणी, टांके, पशु बाडे बने हुऐ है। प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2849 / 2216 के मध्य में पुराने समय से कटाण गैर मुमकिन मगरी खसरा नम्बर 2327 / 2116 स्थित है जो प्रार्थीगण के मध्य में तरमीम की हुई थी जो सही तरमीम की गई थी। वर्तमान में राजस्व रेकर्ड को कम्प्यूटरीकरण के दौराने प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 2849 / 2216 के मध्य स्थित गैर मुमकिन मगरी खसरा नम्बर 2327 / 2116 को विप्रार्थी संख्या 1 से 11 की भूमि खसरा नम्बर 2426 / 2116 में गलत रूप से तरमीम कर दी गई है जो तरमीम गलत की गई है जबकि वास्तव में गैर मुमकिन मगरी प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 2849 / 2216 के मध्य ही स्थित है तथा वक्त सेन्टलमेंट से ही उक्त खसरे के मध्य ही तरमीम की हुई थी परन्तु वर्तमान में मात्र टंकणीय भूल के कारण ही गलत तरमीम हुई है जो वर्तमान में ऑनलाईन रेकर्ड के अनुसार खेत का नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है जबकि ऑफलाईन रेकर्ड में नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है। राजस्व अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम मौके पर मौजूद कब्जा काश्त के अनुसार नहीं करके गलत (अशुद्ध) तरमीम कर दी गई अर्थात लठ्ठा ट्रेस की तरमीम व वादग्रस्त खेत के मौके के कब्जा काश्त में भिन्नता है, इसलिये प्रार्थीगण वादग्रस्त खेत के कब्जा काश्त अनुसार परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम शुद्धिकरण करवाना चाहते है। लिहाजा मौजा बाड़मेर गादान के खसरा नम्बर 2849 / 2216 रकबा 14.0992 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2327 / 2116 की भू–नक्शा में की गई गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लठ्ठा ट्रेस में दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 11 उपस्थित। विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि मौजा बाड़मेर गादान पटवार हल्का बाड़मेर आगोर तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या 2849/2216 रकबा 14.0992 हैक्टेयर व गै.मु. मगरी खसरा नम्बर 2327/2116 मौजा बाड़मेर गादान की लट्ठा ट्रेस में की गई गलत तरमीम को दुरस्त कर मौके पर कब्जा एवं काश्त अनुसार भू-नक्शा में सही तरमीम संलग्न परिशिष्ट 'ब' के अनुसार दुरस्त (शुद्धिकरण) की जाती हैं तो विप्रार्थीगण संख्या 01 से 11 को कोई आपत्ति या ऐतराज नहीं होना बताया है।

तहसीलदार बाडमेर ने अपने पत्रांक भू.अ./2025/20 दिनांक 02.01.2025 को रिपोर्ट इस आशय की उपलब्ध करवाई कि पटवार हल्का बाड़मेर आगोर के ग्राम बाड़मेर गादान के खसरा नम्बर 2327/2116 रकबा 02.00 बीघा किस्म गै.मु. मगरा सेटलमेन्ट के समय से दर्ज है, जो मूल खसरा नम्बर 2216 के मध्य अंकित है। डीआईएलआरएमपी योजनान्तर्गत रेकर्ड को ऑनलाईन करते समय खसरा नम्बर 2327/2116 का अंकन त्रृटिवंश खसरा नम्बर 2426/2116 में कर दिया गया, जबकि नक्शा लठ्ठा ट्रेस (ऑफलाईन) में तरमीम परिशिष्ठ "अ" अनुसार है। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा प्रकरण में खसरा नम्बर 2327/2116, 2849/2216 एवं 2426/2116 की तरमीम संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार शुद्ध करने की अभिशंषा की गई है।

उभय पक्षों को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेज का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की वर्तमान में भू-नक्शा में खसरा अंकन अशुद्ध है जिसे उभय पक्षों ने स्वीकार किया है। उभय पक्षों की सहमति व प्रकट तथ्यों के मद्देनजर मौजा बाड़मेर गादान, पटवार हल्का बाड़मेर आगौर के खसरा नम्बर 2327/2116, 2849/2216 एवं 2426/2116 की तरमीम तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 के संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन अप्रार्थी संख्या 01 से 11 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट के परीप्रेक्ष्य में स्वीकार किया जाकर मौजा बाड़मेर गादान, पटवार हल्का बाड़मेर आगौर के खसरा नम्बर 2327/2116, 2849/2216 एवं 2426/2116 की वर्तमान तरमीम निरस्त की जाकर तहसीलदार बाड़मेर की रिपोर्ट दिनांक 02.01.2025 के संलग्न परिशिष्ठ "अ" के अनुसार दुरूस्त (शुद्धिकरण) की जाती है। तहसीलदार बाडमेर जांच कर बाद जांच तद्नुसार समस्त राजस्व अभिलेख शुद्ध करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो।

(वीरमा राम)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 03/01/25 को सरें ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर